

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1048  
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण आबादी के लिए सरल ऋण सुविधा

1048. श्री ए० इलावरासन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ग्रामीण आबादी, विशेषकर उन राज्यों में जहां गरीबी अत्यधिक है, के लिए ऋण प्राप्ति को और अधिक आसान बनाने के लिए विचार कर रही है;
- (ख) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड जैसे अनेक राज्यों में, जहां 80 प्रतिशत बैंक स्व-सहायता समूहों का समर्थन करते हैं, स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध ऋण और ऋण की मांग के बीच भारी अंतर है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बैंकों को अधिक गरीब राज्यों में स्व-सहायता समूह के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए कहा गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : ग्रामीण क्षेत्रों के पृष्ठ प्रदेश में बैंकों की पहुँच बढ़ाने के लिए और वित्तमंत्री के वर्ष 2010-11 के बजट भाषण को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह सलाह दी गई थी कि वे बिजनेस कॉरेसपोंडेंट (बीसी) के जरिए शाखाविहीन बैंकों सहित विभिन्न मॉडलों और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए 2000 से अधिक की आबादी वाली बसावटों (2001 की जनगणना के आधार पर) में मार्च, 2012 तक उपयुक्त बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएं। सरकार ने 'स्वाभिमान' नामक इस वित्तीय समावेशन अभियान का औपचारिक रूप से फरवरी, 2011 में शुभारम्भ किया था। मार्च, 2012 के अंत तक इस अभियान के अंतर्गत 74,194 ऐसे गाँवों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं और लगभग 3.16 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं।

इसके अलावा, वित्तमंत्री के वर्ष 2012-13 के बजट भाषण को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में 1000 से अधिक की आबादी वाली बसावटों में तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 की आबादी को पार कर चुकीं अन्य बसावटों में 'स्वाभिमान' अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार इस विस्तारित 'स्वाभिमान' अभियान के तहत कवर किए जाने हेतु लगभग 45,000 ऐसी बसावटों का निर्धारण किया गया है।

(ख) और (ग) : नाबार्ड ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखण्ड राज्यों में प्रोत्साहित किए गए और ऋण से जुड़े रव-सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या और ऋण संपर्क में अन्तर निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	राज्य का नाम	बचत से जुड़े एसएचजी की संख्या	ऋण से जुड़े एसएचजी की संख्या	अन्तर से जुड़े एसएचजी की संख्या - ऋण से जुड़े एसएचजी की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	251654	212922	38732
2.	मध्य प्रदेश	163588	60815	102773
3.	राजस्थान	251654	134961	116693
4.	बिहार	305113	223033	82080
5.	झारखण्ड	89603	63336	26267
	कुल	1061612	695067	366545

(घ) और (ङ) : वित्तीय सेवा विभाग नाबार्ड के जरिए देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित 150 पिछड़े जिलों में महिला रव-सहायता विकास निधि की एक योजना चला रहा है।

\* \* \* \* \*